MR. DEPUTY-SPEAKER: You can discuss this matter with Shri Lawrence.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: It is not possible. However to take care of the interests of the growers their representation may be increased from four to six. That has been agreed and necessary amendment will be made.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): The workers representatives in the Board have no voting right.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We go to the next item. Shri Pranab Kumar Mukherjee.

13.51 hrs.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK BILL

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the African Development Bank and for matters connected therewith,

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the African Development Bank and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce the Bill.

13.51 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR GETTING THE ROPEWAY TO THE PILLER ON RATNAGIRI HILL REPAIRED

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष जी, बिहार का राजगीर नगर संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। बोद्ध युग में यह नगर राजगृह के नाम से विख्यात था। यह नगर बोद्ध, जैन एवं हिन्दुओं के लिए एक महान् पवित्र एवं धार्मिक स्थान है और इसका एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इसी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर विश्वविख्यात नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी उसकी महानता के प्रतीक बन कर खड़े हुए हैं। राजगीर पंच पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इनमें से एक पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी के समीप ही ग्रद्धकूट नामक स्थान है। यह ग्रद्धकूट वह स्थान है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी ग्रद्धकूट के समीप रत्नागिरी पर्वत पर जापान के बौद्धों ने एक विशाल एवं भव्य "विश्व शान्ति स्तूप" एवं बोद्ध मंदिर का निर्माण कराया है। इस विश्व-शान्ति स्तूप का उद्घाटन 25 अक्टूबर, 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री वी० वी० गिरि के कर कमलों द्वारा किया गया था। जमीन से स्तूप तक जाने के लिए एक आकाशीय रज्जूपथ लगाया गया है जो जापान के लोगों ने ही भेंट स्वरूप प्रदान किया था। राजगीर इस समय देश के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों में से एक है। जहां नित्यप्रति हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक आते हैं। यह आकाशीय रज्जूपथ पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है। मुझे यह बताते हुए खेद है कि पिछले

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 17-3-1983.

†Introduced with the recommendation of the President.

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]]

एक वर्ष से यह रज्जूपद्ध बन्द पड़ा हुआ है जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार सरकार को निर्देश दे कर शीघ्र से शीघ्र इस रज्जूपथ को चालू कराये जिससे पर्यटकों को होने वाली असुविधा दूर हो सके। बेहतर तो यह होगा कि केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने हाथ में इसके प्रबन्ध को ले कर चलाये।

(ii) NEED FOR ISSUING LICENCES TO FARMERS FOR CULTIVATION OF POPPY.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम और अल्कालाइड का बहुत पुराना कारखाना है। वहां अफीम का कारखाना इसलिए स्थापित किया गया था कि उस जिले में अच्छे किस्म के पोस्त की खेती होती थी, जिससे कि अफीम निकाली जाती है। पोस्ते की खेती के लिए किसानों को नार्कोटिंग विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, पहले पुरे जिले में यह लाइसेंस दिया जाता था और किसान इसे कैश क्राप के रूप में इसकी खेती करते थे।

इधर कुछ वर्षों से गाजीपुर के किसानों को पोस्ते की खेती के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। नार्कोटिंग विभाग का कार्यालय गाजीपुर से लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया। इससे इस विभाग का तो खर्चा बहुत काफी बढ़ गया है। यदि लाभ हुआ तो केवल यह कि उस विभाग के बड़े अधिकारी गाजीपुर के छोटे शहर से उठकर लखनऊ जैसे बड़े शहर में चले गये हैं। गाजीपुर अफीम कारखाने का लाभ गाजीपुर के किसानों को जो मिला करता था उससे वह वंचित हो गये हैं। अन्य स्थानों पर पोस्ते की जो खेती होती है, उससे घटिया किस्म की अफीम पैदा होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर तत्काल ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे कि गाजीपुर के किसानों को जिले के सभी क्षेत्रों में आसानी से पोस्ते की खेती का लाइसेंस दिया जा सके जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो तथा नारकोटिंग कार्यालय को पुनः गाजीपुर ले जाया जाये।

(iii) CRITERIA FOR GRANT OF CENTRAL ASSISTANCE FOR ACCELERATED WATER SUPPLY PROGRAMME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान के रेगिस्तानी बाड़मेर जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के पैंतीस वर्ष की आजादी के बाद भी चालीस, तीस एवं पचास प्रतिशत क्रमशः समस्याप्रद ग्रामों की समस्या ही हल हो चुकी है और उन गांवों में भी ग्राम निवासी 10 वर्ग किलोमीटर से 150 वर्ग किलोमीटर में ढ़ाणियों के समूह में रहने के कारण उन्हें पीने के पानी की प्राप्ति के लिए तीन किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार ने किसी भी ग्राम निवासी को 1.6 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर पानी प्राप्ति के लिए जाना पड़े तो उक्त ग्राम को समस्याप्रद माना है और यह निर्णय कर रखा है कि उक्त समस्याप्रद ग्रामों में एक मुख्य स्थान पर ही पानी पहुंचाया जाए परन्तु यह रोक रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां कि ग्रामवासी को एक ग्राम में पानी की प्राप्ति के लिए एक किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है पर लागू होने से उन्हें पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पाती।

रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। प्रति व्यक्ति 10 गैलन का प्रावधान किया जाता है परन्तु पशु जो कि गणना में मनुष्य से दुगने से भी अधिक होते हैं और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में उनकी आर्थिक स्थिति के आधार हैं, के पीने के पानी